


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

दाना बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम व अन्य

केस संख्या 52/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
5.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (प्रथम) के पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार नवल आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता इस कथन से सहमत है।</p> <p>उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 91/2023 व 278/2023 व उनवानी दाना बनाम रामकरण व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार नवल आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ) जिला कलक्टर जयपुर</p>	